(तीन) ऐसे यान को, जिसके विनिर्माण वर्ष से 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हों, किसी भी मार्ग पर चलने के लिये मंजिली गाड़ी का अनुज्ञापत्र मंजूर नहीं किया जाएगा,

(चार) एकल फेरे में 150 किलोमीटर या उससे अधिक लंबी दूरी के मार्ग पर निम्नलिखित श्रेणी के यानों को जिनकी बैठक क्षमता प्रत्येक के समक्ष दशाई गई है, चलाये जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा :–

1.	डीलक्स/वातानुकूलित बस	चालक व परिचालक को छोड़कर, 35+2 से कम सीटें न हों,
2.	एक्प्रेस बस	चालक व परिचालक को छोड़कर, 45+2 से कम सीटें न हों,
3.	साधारण बस	चालक व परिचालक को छोड़कर, 50+2 से कम सीटें न हों,''

4. नियम 103 में, उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''(1क) पारस्परिक परिवहन अनुबंध के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय मार्ग पर मंजिली गाड़ी के अनुज्ञापत्र पर चलाए जा रहे यान की दशा में, यान की विंडस्क्रीन के ऊपरी किनारे पर तथा यान की बॉडी के दोनों ओर बाहरी भाग पर सफेद रंग से पेंट की गई पट्टी पर नीले रंग से ''मध्यप्रदेश परिवहन'' लिखा जाएगा, पट्टी की चौडाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई में अक्षरों का आकार 8 सेंटीमीटर होगा और वे ऐसे होंगे कि 25 मीटर की दूरी से साफ–साफ पढ़े जा सकते हों,''

5. नियम 116 में, उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थातः–

''(1क) मंजिली गाड़ी सेवायान, जिनकी बैठक क्षमता चालक और परिचालक को छोड़कर 6 से लेकर 21 तक है, ''ग्रामीण सेवायान'' के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे और नियम 116 क के खण्ड (दो) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट ''ग्रामीण मार्गो'' पर ही चलाए जाएंगे, विंडस्क्रीन के ऊपरी किनारे पर तथा यान की बॉडी के दोनों ओर बाहरी भाग पर सफेद रंग से पेंट की गई पट्टी पर नीले रंग से ''ग्रामीण सेवायान'' लिखा जाएगा, पट्टी की चौडाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई में अक्षरों का आकार 8 सेंटीमीटर होगा और वे ऐसे होंगे कि 25 मीटर की दूरी से साफ–साफ पढ़े जा सकते हों,''